न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

आदेश द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **10/2016 प्रा.पत्र रसद**

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, वल्लभनगर, जिला उदयपुर

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. श्री बाबुलाल पुत्र श्री मगनीराम टांक, प्राधिकृत उचित मुल्य दुकानदार भटेवर–बी, भटेवर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
2. श्री प्रदीप पुत्र बाबुलाल टांक द्वारा प्राधिकृत उचित मुल्य दुकानदार बाबुलाल टांक भटेवर–बी, भटेवर तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
3. व्यवस्थापक/सेल्समेन/स्टोरकीपर, भीण्डर क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. भीण्डर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर
4. श्री मोहनलाल पुत्र श्री कजोड़ीमल ब्राम्हण, वाहन चालक वाहन संख्या आर.जे. 27 जी.बी 7689, निवासी बेड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....**अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 तथा इसी आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 18 के अधिमान्य (Public Distribution System Control Order, 2001) के तहत अधिगृहित 176.25 क्विंटल गेहूँ बार वारदान, केरोसीन 660 लीटर मय तीन ड्रम तथा 35.25 किलो लेवी चीनी को राजसात (Confiscate) कराने हेतु साथ ही निवेदन है कि उपर्युक्त जीन्स शीघ्र खराब होने वाली हैं। जिसका अन्तिम निस्तारण किये जाने बाबत्

उपस्थित– श्री विजयसिंह राठौड़, प्रवर्तन निरीक्षक पैरोकार सरकार
श्री सुखराम डिडेल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3
श्री बी.एल. चौधरी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 4

आदेश

दिनांक–22.12.17

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या 1 बाबुलाल पुत्र मगनीराम टांक उचित मुल्य दुकान भटेवर बी के प्राधिकृत प्राधिकारपत्रधारी होकर उपभोक्ताओ में नियंत्रित वस्तुओ का वितरण करते हैं। जिनके विरूद्ध राशन के गेहूँ का दुरूपयोग सबंधि शिकायत पर प्रवर्तन निरीक्षक वल्लभनगर द्वारा जॉच की गई तो पाया गया कि दिनांक 29.07.16 को एफ.पी.एस. भटेवर बी हेतु वाहन संख्या आर जे 27 जीबी 7689 के चालक मोहनलाल ब्राम्हण निवासी बेड़वास द्वारा गेहूँ लादकर लाया। गेहूँ

खाली करते समय उपसरपंच पुरणमल एवं अन्य गॉव वालो द्वारा पुछताछ की गई तो चालक द्वारा बताया कि वह 278 कट्टे गेहूॅ माह अगस्त 2016 पेटे लेकर आया। परन्तु रास्ते में बाबुलाल टांक के कहने से 151 कट्टे गेहूॅ के श्री देवीलाल पुत्र शंकरलाल भाट के कुॅए पर खाली कर दिये। मौके पर उपसरपंच व गॉव वालो ने पुलिस का भय बताकर गेहूॅ के बिल गेट पास आदि प्राप्त कर लिया। उपसरपंच द्वारा इस आशय की सूचना थानाधिकारी खेरोदा को दी गई। जिस पर पुलिस ने दिनांक 29.07.16 को कार्यवाही कर गेहूॅ देवीलाल भाट के कुॅए से बरामद कर तहवील में लिये जाकर रसद विभाग के समक्ष लाकर एफ.पी.एस. भटेवर बी पर सिपुर्द किये। जॉच दल द्वारा पुलिस एवं उपसरपंच एवं ग्रामीणो की मौजुदगी में उचित मुल्य की दुकान भटेवर बी के गोदाम की जॉच की गई। एफ.पी.एस. भटेवर बी के गोदाम एक दो तीन संख्यांकित हैं। तीनो गोदामो में कुल 150.50 क्विंटल गेहूॅ भण्डारित पाया गया। केरोसीन के तीन ड्रम पाये गये। जिनमें 200 लीटर प्रति ड्रम के हिसाब से कुल 600 लीटर केरोसीन बाद माप भण्डारित पाया गया। जो स्टॉक के मुकाबले 103 लीटर कम हैं। गोदाम संख्या 1 में 35.25 किलो चीनी एक कट्टे में भण्डारीत पायी गई। डीलर स्वयं निरीक्षण कराने एफ.पी.एस. पर नहीं आया। उसने उसके पुत्र प्रदीप को भेजा। उसने पी.ओ.एस. मशीन के अलावा वितरण किये गये गेहूॅ का प्रोफार्मा प्रस्तुत किया जिसे अग्रीम कार्यवाही हेतु कब्जे लिये गये। मौके पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। जिसमें आर.एस.डब्ल्यु.सी. गेट पास संख्या 3347 जिस पर गेहूॅ के कट्टो की संख्या 180 वजन बाद बारदान 89.60 क्विंटल लदान किया जाना अंकित हैं। जबकि ट्रक संख्या आर जे 27 जीबी 7689 के द्वारा एफ.पी.एस. भटेवर बी पर 127 कट्टे ही खाली किये गये जबकि भीण्डर केवीएसएस के चालान संख्या 468 दिनांक 29.07.16 व वाहन संख्या आर जे 27 जीबी 3246 से गेहूॅ 139 क्विंटल नंग 278 जो गोदाम कीपर व वाहन चालक के हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित है जिसके वाहन चालक भी मोहनलाल ब्राम्हण ही हैं। इस वाहन को गेहूॅ खाली करने एफ.पी.एस. भटेवर बी पर नहीं भेजकर दूसरे वाहन संख्या आर जे 27 जी बी 7689 को गेहूॅ

खाली करने, भेजा जाना सन्देह पैदा करता हैं। आर एस डब्ल्यू सी के गेटपास संख्या 3847 दिनांक 29.07.2016 से वाहन संख्या आर जे 27 जीबी 7689, 180 कट्टे प्रति कट्टा 50 किलो कुल गेहूॅ का वजन 82.60 क्विंटल लाद कर चालक मोहनलाल के साथ केवीएसएस भीण्डर को भिजवाया। केवीएसएस भीण्डर ने इस वाहन में बचे गेहूॅ की मात्रा लदान नहीं करायी तथा व्यवस्थापक केवीएसएस भीण्डर व एफपीएस डीलर बाबुलाल ने कूटरचित योजना बनाकर चालक को आदेशित किया कि इस ट्रक में से 127 गेहूॅ के कट्टो के अलावा बाकी कट्टे देवीलाल भाट के कुॅए पर खाली कर देना। इसी की पालना में मोहनलाल ने देवीलाल भाट के कुॅए पर गेहूॅ के कट्टे उतार दिये व बाकि बचे 127 कट्टे एफपीएस भटेवर बी पर खाली किये। इससे स्पष्ट होता है कि माह जुलाई 2016 के गेहूॅ वितरण में गलत इन्द्राज कर सम्बन्धित उपभोक्ताओ को उनके डिजीटल राशन कार्ड से मिलने वाले गेहूॅ नहीं देकर गेहूॅ बचा लिये गये व एफ.पी.एस. भटेवर बी की स्थिति इस प्रकार है कि वहॉ से वितरण के बाद बचे हुए गेहूॅ को निकाला जाना असम्भव होने से जितनी मात्रा गेहूॅ का गलत अंकन किया उतनी मात्रा में गेहूॅ देवीलाल भाट के कुॅए पर खाली करके चालक मोहनलाल ने केवीएसएस भीण्डर के मैनेजर व बाबुलाल एफपीएस डीलर भटेवर बी के आदेश की पालना कर समस्त गेहूॅ को निर्धारित स्थान पर ना लेजा गेहूॅ डायवर्ट करने में केवीएसएस ने बाबुलाल का सहयोग किया। जॉच में यह भी आया कि जिन व्यक्तियो को पी ओ एस मशीन से गेहूॅ दिये जाने की पर्ची निकाली गई व गेहूॅ वितरण का प्रोफोर्मा दोनो का मिलान किया तो पाया कि जिन डिजीटल राशनकार्डो से उपभोक्ताओ को पीओएस मशीन द्वारा दिया गया उन्ही डिजीटल राशनकार्ड धारक के नाम माह जुलाई 2016 के प्रफोर्मा गेहूॅ वितरण में भी गेहूॅ दिया जाना अंकित पाया। इससे एक ही व्यक्ति को उसी माह में निर्धारित मात्रा से अधिक गेहूॅ दिया जाना अंकित कर गेहूॅ के वितरण का गलत रेकार्ड बना गेहूॅ का दुरूपयोग कर अनुचित लाभ लेने, संग्रहित माह अगस्त 2016 हेतु संग्रहित किया तथा इसी माह

अगस्त 2016 के आवंटित गेहूँ को एफपीएस भटेवर बी पर ना लाकर रास्ते में ही देवीलाल भाट के कुँए पर खाली कर दिया।

उक्त कृत्य केवीएसएस भीण्डर व एफ.पी.एस. भटेवर बी का गेहूँ के डायवर्जन किये जाने का सिद्ध होता है जो राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) का आदेश 1976 के क्लॉज 03(2) क्लॉज 06 तथा इसी आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 5, 7 तथा 17 सी व शर्त संख्या 18 के अधिमान्य पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कन्ट्रोल ऑर्डर 2001 के क्लॉज 6 (4) का उल्लंघन होना पाये जाने से 176.25 क्विंटल गेहूँ को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करें एवं जब्त चीनी व केरोसीन का अन्तिम निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2, 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुखराम डिडेल द्वारा उपस्थित होकर वकालत पत्र प्रस्तुत किया गया। परन्तु जवाब विपक्षी संख्या 3 की ओर से ही प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 3 की ओर से जवाब में निवेदन किया कि वेयर हाउस फतहनगर से दिनांक 29.07.16 को ट्रक संख्या आर.जे. 27 जी. बी. 7689 में कुल 278 कट्टे यानि 139 क्विंटल गेहूँ भरकर गेटपास संख्या 3347 व चालान नम्बर 468 के साथ रवाना होकर उचित मुल्य की दुकान भटेवर बी पर 278 कट्टे 139 क्विंटल गेहूँ मोहनलाल ड्राईवर द्वारा खाली किये व गेहूँ प्राप्ति की रसीद प्राप्त की गई। गेहूँ उचित मुल्य की दुकान पर ही खाली किये थे। जिसकी पहूँच की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा की गई हैं। उचित मुल्य की दुकान पर गेहूँ पहूँचाने के बाद डीलर द्वारा गेहूँ का क्या किया उसकी जानकारी विपक्षी संख्या 3 को नहीं हैं। विपक्षी की जिम्मेदारी गोदाम से उचित मुल्य की दुकान तक आपुर्ति करने की हैं। चालान में ट्रक संख्या आर जे 27 जीबी 7689 के स्थान पर सहवन से ट्रक संख्या आर जे 27 जीबी 3246 दर्ज हो गई जिसकी सूचना डी.एस.ओ. उदयपुर एवं पुलिस थाना खेरोदा को लिखित में सुचित किया गया। विपक्षी

संख्या 3 द्वारा लाईसेंस की किसी भी क्लॉज या शर्त की अवहेलना नही की गई है नाही कोई अपराध किया गया है नाही अपराध करने की कोई मंशा ही हैं।

विपक्षी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री बंशीलाल जी चौधरी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा जरिये बहस बताया कि बाबुलाल विपक्षी संख्या 1 उचित मुल्य की दुकान भटेवर बी का राशन डीलर होकर भीण्डर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड भीण्डर से भटेवर बी सेन्टर हेतु राशन के गेहूॅ ट्रक संख्या आर जे 27 जी बी 7689 के द्वारा 278 कट्टे 139 क्विंटल गेहूॅ ड्राईवर मोहनलाल के साथ में भिजवाये गये थे परन्तु उचित मुल्य दुकानदार द्वारा रास्ते में भटेवर मार्ग पर स्थित जोर जी के खेड़े के सामने वाली सड़क पर देवीलाल भाट के कुॅए पर ले गये। वहॉ पर उक्त ट्रक संख्या आर जे 27 जी बी 7689 में से 151 कट्टे हेमालो की सहायता से खाली करवा दिये। शेष बचे कट्टे उचित मुल्य की दुकान भटेवर बी के गोदाम में खाली करवाये गये। खाली करवाते समय मौतबिर लोगो की जागरूकता की वजह से 178 कट्टो के स्थान पर केवल 127 कट्टे ही सेन्टर पर खाली होने का कारण ड्राईवर से पुछने पर ड्राईवर द्वारा हकीकत बता दी गई। मौके पर उपस्थित उपसरपंच पुरण धाकड़ द्वारा इसकी सूचना पुलिस थानाधिकारी खेरोदा को दी गई। थानाधिकारी खेरोदा द्वारा मौके से 39 कट्टे गेहूॅ मौके से प्राप्त कर एफपीएस सेन्टर भटवेर बी पर सिपुर्द किये गये। प्राप्त शिकायत की जॉच निरीक्षण दल द्वारा किये जाने पर भटेवर बी के सेन्टर की जॉच करने पर पाया गया कि सेन्टर पर 176.25 क्विंटल गेहूॅ, 3 ड्रम केरोसीन जो माप करने पर 640 लीटर तथा 35.25 किलो चीनी पायी गई। मौके पर जॉच करने पर पाया गया कि ट्रक संख्या आर जे 27 जीबी 7689 के द्वारा एफ.पी.एस. भटेवर बी पर 127 कट्टे ही खाली किये गये जबकि भीण्डर केवीएसएस के चालान संख्या 468 दिनांक 29.07.16 व वाहन संख्या आर जे 27 जीबी 3246 से गेहूॅ 139 क्विंटल नंग 278 जो गोदाम

कीपर व वाहन चालक के हस्ताक्षर से हस्ताक्षरित है जिसके वाहन चालक भी मोहनलाल ब्राम्हण ही हैं। इस वाहन को गेहूॅ खाली करने एफ.पी.एस. भटेवर बी पर नहीं भेजकर दूसरे वाहन संख्या आर जे 27 जी बी 7689 को गेहूॅ खाली करने, भेजा जाना सन्देह पैदा करता हैं। आर एस डब्ल्यू सी के गेटपास संख्या 3847 दिनांक 29.07.2016 से वाहन संख्या आर जे 27 जीबी 7689, 180 कट्टे प्रति कट्टा 50 किलो कुल गेहूॅ का वजन 82.60 क्विंटल लाद कर चालक मोहनलाल के साथ केवीएसएस भीण्डर को भिजवाया। केवीएसएस भीण्डर ने इस वाहन में बचे गेहूॅ की मात्रा लदान नहीं करायी तथा व्यवस्थापक केवीएसएस भीण्डर व एफपीएस डीलर बाबुलाल ने कूटरचित योजना बनाकर चालक को आदेशित किया कि इस ट्रक में से 127 गेहूॅ के कट्टो के अलावा बाकी कट्टे देवीलाल भाट के कुॅए पर खाली कर देना। इसी की पालना में मोहनलाल ने देवीलाल भाट के कुॅए पर गेहूॅ के कट्टे उतार दिये व बाकि बचे 127 कट्टे एफपीएस भटेवर बी पर खाली किये। इससे स्पष्ट होता है कि माह जुलाई 2016 के गेहूॅ वितरण में गलत इन्द्राज कर सम्बन्धित उपभोक्ताओ को उनके डिजीटल राशन कार्ड से मिलने वाले गेहूॅ नहीं देकर गेहूॅ बचा लिये गये व एफ.पी.एस. भटेवर बी की स्थिति इस प्रकार है कि वहॉ से वितरण के बाद बचे हुए गेहूॅ को निकाला जाना असम्भव होने से जितनी मात्रा गेहूॅ का गलत अंकन किया उतनी मात्रा में गेहूॅ देवीलाल भाट के कुॅए पर खाली करके चालक मोहनलाल ने केवीएसएस भीण्डर के मैनेजर व बाबुलाल एफपीएस डीलर भटेवर बी के आदेश की पालना कर समस्त गेहूॅ को निर्धारित स्थान पर ना लेजा गेहूॅ डायवर्ट करने में केवीएसएस ने बाबुलाल का सहयोग किया। जॉच में यह भी आया कि जिन व्यक्तियो को पी ओ एस मशीन से गेहूॅ दिये जाने की पर्ची निकाली गई व गेहूॅ वितरण का प्रोफोर्मा दोनो का मिलान किया तो पाया कि जिन डिजीटल राशनकार्डो से उपभोक्ताओ को पीओएस मशीन द्वारा दिया गया उन्ही डिजीटल राशनकार्ड धारक के नाम माह जुलाई 2016 के प्रफोर्मा गेहूॅ वितरण में भी गेहूॅ दिया जाना अंकित पाया। इससे एक ही व्यक्ति को उसी माह में निर्धारित मात्रा से अधिक गेहूॅ दिया जाना अंकित

कर गेहूॅ के वितरण का गलत रेकार्ड बना गेहूॅ का दुरूपयोग कर अनुचित लाभ लेने, संग्रहित माह अगस्त 2016 हेतु संग्रहित किया तथा इसी माह अगस्त 2016 के आवंटित गेहूॅ को एफपीएस भटेवर बी पर ना लाकर रास्ते में ही देवीलाल भाट के कुॅए पर खाली कर दिया।

रेकार्ड की जॉच करने पर पाया कि डीलर द्वारा जुलाई 2016 में गेहूॅ वितरण पीओएस मशीन द्वारा भी किया गया हैं तथा इन्ही उपभोक्ताओ को राशन कार्ड से इसी माह में वितरण फोरमेट में गेहूॅ दिया जाना भी अंकित हैं। इसी प्रकार राशन कार्डो में क्रम संख्या युनिट 4, 4, 4, 7, 1, व 5 कुल 25 राशनकार्डधारको को पीओएस मशीन से 125 किलो गेहूॅ दिया जाना पाया गया। इन्ही कार्डधारको को वितरण प्रोफोर्मा में 5 किलो प्रति युनिट से 150 किलो गेहूॅ दिया जाना पाया गया। जो संबंधित ने जॉच के दौरान 150 किलो गेहूॅ प्राप्त नहीं होना बताया। इस प्रकार दोहरा भुगतान दर्शाकर गेहूॅ बचाया गया। वाहन चालक मोहनलाल ने केवीएसएस भीण्डर के मैनेजर व बाबुलाल एफ.पी.एस भीण्डर भटेवर बी के आदेश की पालना कर गेहूॅ को निर्धारित स्थल पर ना लेजाकर गेहूॅ डायवर्ट करने में केवीएसएस व बाबुलाल का सहयोग किया। इस प्रकार केवीएसएस भीण्डर व एफ पी एस भटेवर द्वारा घोर कानुन की अवहेलना की हैं। जिस कारण जब्त गेहूॅ को राजसात किया जावें व चीनी, केरोसीन के अन्तिम निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्ववान अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 द्वारा अपने जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया गया वेयर हाउस फतहनगर से दिनांक 29. 07.16 को ट्रक संख्या आर.जे.–जी.बी. 7689 में कुल 278 कट्टे यानि 139 क्विंटल गेहूॅ भरकर गेटपास संख्या 33/47 व चालान नम्बर 468 के साथ रवाना होकर उचित मुल्य की दुकान भटेवर बी पर 278 कट्टे 139 क्विंटल गेहूॅ मोहनलाल ड्राईवर द्वारा खाली किये। व गेहूॅ प्राप्ति की रसीद प्राप्त की गई। गेहूॅ उचित मुल्य की दुकान पर ही खाली किये थे। जिसकी पहूॅच की रिपोर्ट सक्षम अधिकारी द्वारा की गई हैं। उचित मुल्य की दुकान पर गेहूॅ पहूॅचाने के बाद डीलर द्वारा गेहूॅ का क्या किया उसकी जानकारी विपक्षी

संख्या 3 को नहीं हैं। विपक्षी की जिम्मेदारी गोदाम से उचित मुल्य की दुकान तक आपुर्ति करने की हैं। चालान में ट्रक संख्या आर जे 27 जीबी 7689 के स्थान पर सहवन से ट्रक संख्या आर जे 27 जी 3246 दर्ज हो गई जिसकी सूचना डी.एस.ओ. उदयपुर एवं पुलिस थाना खेरोदा को लिखित में सुचित किया गया। विपक्षी संख्या 3 द्वारा लाईसेंस की किसी भी क्लॉज या शर्त की अवहेलना नही की गई है नाही कोई अपराध किया गया है नाही अपराध करने की कोई मंशा ही हैं। अतः विपक्षी संख्या 3 के विरूद्ध कार्यवाही को खारीज कराना फरमावें।

विपक्षी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि वाहन चालक मोहनलाल द्वारा ट्रक संख्या आर जे 27 जी बी 7689 से कुल 278 कट्टे 139 क्विंटल गेहूॅ सेन्टर पर पहुॅचाकर पहूॅच भी प्राप्त कर जमा करवा दी गई। इसलिये विपक्षी संख्या 4 का कोई दोष नहीं हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गेटपास संख्या 3347 दिनांक 29.07.16 आर एस डब्ल्यू सी फतहनगर द्वारा जो गेहूॅ भेजा गया है वह 180 कट्टे होकर 89.60 क्विंटल गेहूॅ दर्ज हैं। जबकि भीण्डर क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के प्रपत्र बी जो खाद्यान्नो की उचित मुल्य दुकान स्तर तक पहूॅचने बाबत प्राप्ति रसीद है जिसमें ट्रक संख्या आर जे 27 जीबी 3246 दर्ज है जिसमें 278 कट्टे 139 क्विंटल गेहूॅ दर्ज हैं। चालान संख्या 468 में भी इसी ट्रक का अंकन होकर उचित मुल्य की दुकान पर गेहूॅ पहूॅचने का जो प्रमाणिकरण सतर्कता समिति के सदस्यो का होता है वह खाली है यानिकी सेन्टर पर गेहूॅ पहूॅचने की तस्दीक नहीं होती हैं। जिससे प्रथम दृष्ट्या गेहूॅ को पहूॅचाने में केवीएसएस भीण्डर भी प्रथम दृष्ट्या आरोपी हैं। गेहूॅ खाली करते समय उपसरपंच पुरणमल धाकड़ द्वारा थानाधिकारी को जो पत्र लिखा है उसमें वाहन संख्या आर जे 27 जी बी 7689 का ही उल्लेख हैं। जिसमें 151 कट्टे सेन्टर पर कम लाना बताया गया हैं। जिसे रास्ते में ही ड्राईवर व भटेवर बी के डीलर की मिलीभगत से देवीलाल के कुॅए पर खाली करना बताया हैं। परन्तु मौके से ड्राईवर फोन पर बात करते करते डीलर के लड़के

प्रदीप पिता बाबुलाल टांक के साथ में गाड़ी लेकर गायब हो गया। शिकायत पर थानाधिकारी द्वारा देवीलाल के कुॅए से 39 कट्टे जो कि 26 क्विंटल 200 ग्राम प्राप्त कर एफ पी एस सेन्टर भटेवर बी पर सिपुर्द किये। वाहन चालक मोहनलाल पुत्र कजोड़ीमल द्वारा अपने पुछताछ पर्चा में गेहूॅ देवीलाल के कुॅए पर खाली करना बताया। जॉच दल द्वारा डीलर भटेवर बी के रेकार्ड की जॉच करने पर उसके द्वारा उपभोक्ताओ को दोहरा भुगतान गेहूॅ का किया जाना अभिलेख से साबित होता हैं। जबकि उसके द्वारा गेहूॅ का दोहरा भुगतान नहीं किया गया। गेहूॅ को बचाता रहा। ताकि अगस्त माह में उस गेहूॅ को उपयोग में लाया जा सके। अगस्त माह हेतु आवंटीत गेहूॅ को सेन्टर पर नहीं लाकर देवीलाल की दुकान पर ही खाली कर दिया गया। इस प्रकार भटेवर बी द्वारा अनुचित लाभ लिये जाने में ट्रक ड्राईवर का भी सहयोग लिया गया। अगर ग्रामीण लोग समय पर पुलिस कार्यवाही नहीं करवाते तो डीलर द्वारा गेहूॅ का अनुचित लाभ कमाने हेतु खुले बाजार में विक्रय कर दिया होता।

इस प्रकार श्री बाबुलाल उचित मुल्य दुकानदार भटेवर बी द्वारा उक्त जब्त गेहूॅ जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के होकर वैध उपभोक्तओ को पीओएस मशीन के द्वारा वितरण किये जाने थे जिनका वितरण नहीं किया जाकर निजी लाभ हेतु कालाबाजारी कर अवैध रूप से गोदाम में नहीं लाकर अन्यत्र जगह पर भिजवाकर गेहूॅ का डायवर्शन किया गया। इस मामले में विपक्षीगण द्वारा गम्भीर अनियमितता करते हुए राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) का आदेश 1976 के क्लॉज 03(2) क्लॉज 06 तथा इसी आदेश के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 1, 5, 7 तथा 17 सी व शर्त संख्या 18 के अधिमान्य पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कन्ट्रोल ऑर्डर 2001 के क्लॉज 6 (4) का उल्लंघन की तारीफ में आने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर 176.25 क्विंटल गेहूॅ मय बारदान राज्यसात किये जाने के

आदेश दिये जाते हैं एवं जब्त लेवी चीनी व केरोसीन के अन्तिम निस्तारण किये जाने के भी आदेश दिये जाते हैं।

न्यायालय द्वारा अपने पूर्व के आदेश दिनांक 17.01.17 से जब्त गेहूॅ केरोसीन चीनी के अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान कर दिये गये हैं। जिनमें से प्राप्त गेहूॅ की राशि राजकोष में जमा की जाकर न्यायालय को अवगत कराया जावें।

निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, प्रथम, उदयपुर को वास्ते पालनार्थ प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर